छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, शंकर नगर रायपुर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल

क्रमांक /685 / आ.आ. / निस / 2012 रायपुर, दिनांक 21 / 06 / 2012

प्रति,

1. अपर आयुक्त
2. उपायुक्त– I / II
   छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
   मुख्यालय, रायपुर
3. कार्यपालन अभियंता,
   छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
   संभाग –

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समस्त कार्यालय भवनों को **"निःशक्तजन एवं वरिष्ठ नागरिक के अनुकूल"** परिसर के रूप में निर्माण करने के संबंध में।

— 00 —

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समस्त कार्यालय भवनों को **"निःशक्तजन एवं वरिष्ठ नागरिक के अनुकूल"** परिसर के रूप में निर्माण निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. समस्त कार्यालयों में निर्मित सीढ़ियों में स्टेनलेस स्टील की रैलिंग लगाया जाये, रैलिंग के सामने दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील की हैण्डरेल लगाया जाये, जिससे वरिष्ठ नागरिक /निःशक्तजन / गर्भवती महिलाएं / बच्चे आदि को ऊपर आने–जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

2. समस्त कार्यालय भवनों में लगे दरवाजो की चौड़ाई कम से कम एक मीटर रखी जाये तथा जिन कार्यालयों में अधिकारी प्रथम अथवा द्वितीय तल में बैठते हैं, वहॉ भूतल में एक कमरे की व्यवस्था कर, निःशक्तजन / गर्भवती महिलाओं / वरिष्ठ नागरिक आदि के लिए **"निःशक्तजन / गर्भवती महिलाओं / सीनियर सिटीजन सहायता प्रकोष्ठ"** बनाई जाये। कमरे में कुर्सियों के साथ–साथ कार्पेट अथवा दरी बिछाया जाए। कार्यालय भवन के प्रवेश द्वार में रैम्प का निर्माण भी आवश्यक रूप से किया जावे। एक योग्य अधिकारी / कर्मचारी को उक्त सहायता प्रकोष्ठ की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो निःशक्तजन / गर्भवती महिलाओं / वरिष्ठ नागरिक के आने की सूचना या संकेत संबंधित अधिकारी को तुरंत देगा। साथ ही सभी कार्यालयों के सामने **"निःशक्तजन / वरिष्ठ नागरिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिसर"** इस आशय का बोर्ड लगाया जाए।

3. निःशक्तजन / गर्भवती महिलाएं / वरिष्ठ नागरिक /डिफेंस पर्सनल कार्यालयीन समय में किसी भी समय अपने कार्य के सिलसिले में संबंधित अधिकारी से प्राथमिकता से और अनायास मिल सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

4. मुख्यालय एवं समस्त संभागीय कार्यालयों में निःशक्तजन /गर्भवती महिलाओं/ वरिष्ठ नागरिक के लिए अनूकुल शौचालय/ बाथरूम की व्यवस्था की जाये, शौचालय /बाथरूम का दरवाजा बाहर की तरफ खुले तथा दरवाजों में हैण्डल एवं सिटकनी (Letch) इस प्रकार लगाया जाये, जिससे कि निःशक्तजन/गर्भवती महिला/ वरिष्ठ नागरिक इसका उपयोग आसानी से कर सके। शौचालय में डब्ल्यू.सी. शीट के दोनो ओर शारीरिक सहायता हेतु हैण्डल दिया जाये। शौचालय /बाथरूम में अंदर–बाहर से अच्छा रंग रोगन करवाया जाये ताकि कमजोर दृष्टि के लोगों को सहज रूप से दृष्टिगोचर हो और साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जावे। इससे मण्डल की छवि पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शौचालय /बाथरूम के प्रवेश द्वार में रैम्प का निर्माण भी आवश्यक रूप से किया जावे। जिससे व्हील चेयर से आने वाले विकलांग/निःशक्तजन भी इसका उपयोग कर सके।

सभी कार्यालयों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर अपने कार्यालय परिसर को **"निःशक्तजन / वरिष्ठ नागरिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिसर"** घोषित करें। उपरोक्त कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन दिनांक 15.07.2012 तक अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर (छ.ग.)

पृ.कमांक / 686 /आ.आ./निस/ रायपुर, दिनांक 21 /06/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, रायपुर।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर (छ.ग.)

o/c